हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

प्रैस नोट

No. BSEH/SEC/2025 | Notification No.12
Date:- 15-09-2025

विषयः–सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा (कम्पार्टमैंट/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/Additional Qualified) सितम्बर–2025 हेतु स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र जारी करने बारे।

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा (कम्पार्टमैंट/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/Additional Qualified) सितम्बर–2025 हेतु स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र दिनांक ***16.09.2025*** से बोर्ड की वैबसाईट पर जारी किए जा रहे है। स्वंयपाठी परीक्षार्थी अपना प्रवेश–पत्र बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक पर पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड़ कर सकते है।

परीक्षार्थी द्वारा ए–4 साईज पेपर पर रंगीन प्रवेश–पत्र डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिंट लेने उपरांत विवरण भलीभांति जांच लें। यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए विवरण में शुद्धि करवा लें, बाद में किसी प्रकार की त्रुटि ठीक करवाने बारे दिये गए प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश–पत्र जारी करवा सकते है। दिव्यांग परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड कार्यालय/परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाते हुए परीक्षा से पहले लेखक की अनुमति लेनी अनिवार्य है। लेखक से संबंधित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में ई0मेल से या दस्ती जमा करवाने होंगे।

इस संदर्भ में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वैबसाईट पर जारी हैल्पलाईन नम्बर 01664–254309/ई0मेल आई0डी0 सैकेण्डरी assec@bseh.org.in सीनियर सैकेण्डरी assrs@bseh.org.in पर सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

अन्य दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से है इनकी दृढ़ता से पालना की जाएः–

1. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
2. परीक्षार्थी अपने प्रवेश–पत्र पर पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो जो आवेदन करते समय स्कैन किया गया था उसे चिपकाकर, फोटो तथा प्रवेश–पत्र को किसी सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. परीक्षार्थी का परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना अनिवार्य है।
4. प्रवेश–पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश–पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।
5. परीक्षार्थी अपने आई0डी0 कार्ड/मूल आधार कार्ड सहित परीक्षा केन्द्र पर आएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षार्थी आधार कार्ड को Update करवाना सुनिश्चित करें।
6. परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसेः–Smart Watch, मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का उपयोग वर्जित है।
7. किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रविष्ठ होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जाएगी।
8. प्रश्न–पत्र पर वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान ना लगाएं अन्यथा U.M.C. दर्ज किया जाएगा।

–हस्ता–
सचिव